

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CICOM/A/2018/60095

दिनांक: 12.07.2018

संदर्भ संचिका सं. CICOM/R/2018/50403

अपीलकर्ता : श्री शफीक अहमद, एडवोकेट,
न्यू लायर्स चैम्बर नं. 404,
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया,
नई दिल्ली - 110001.
मो0 - 9599467474.

निर्णय की तारीख: 12.07.2018

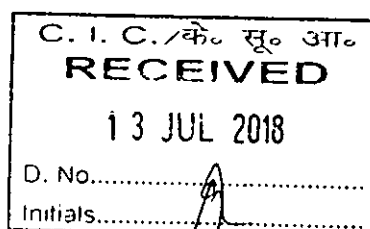
ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	07.06.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	12.06.2018, 14.06.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी का नाम	श्री कृष्ण अवतार तलवार, श्री आर. एल. गुप्ता
ऑनलाइन प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	04.07.2018

1. अपीलकर्ता द्वारा ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से केन्द्रीय सूचना आयोग के CR-1 एवं CR-2 अनुभाग में कार्यरत कुछ अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा निपटाए जा रहे कार्यों से संबंधित चार बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री कृष्ण अवतार तलवार एवं श्री आर.एल.गुप्ता, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करते हुए श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को बुलाया गया जो कि आयोग के CR-1 अनुभाग के प्रभारी (incharge) हैं एवं श्री आर. एल. गुप्ता के आयोग से पदमुक्त होने के पश्चात आयोग के CR-2 अनुभाग के भी प्रभारी (incharge) हैं। श्री कृष्ण अवतार तलवार द्वारा अवगत करवाया गया कि CR-1 एवं CR-2 अनुभाग में कार्यरत कर्मिकों को लिखित रूप में अलग-अलग कार्य नहीं सौंपे गए हैं, बल्कि आयोग द्वारा CR-1 एवं CR-2 अनुभाग के लिए निर्धारित किए गए कार्यों को सुचारु रूप से निपटाने के लिए आवश्यकतानुसार CR-1 एवं CR-2 अनुभाग के प्रभारी द्वारा कर्मिकों को मौखिक निर्देश दिए जाते हैं एवं संबंधित कर्मिकों द्वारा निर्देशों का अनुपालन किया जाता है। अपीलकर्ता के उक्त ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा उक्त तथ्यों के अनुसार ही सूचना प्रदान की गई है, जिससे अधोहस्ताक्षरी पूर्णतः सहमत हैं। Section 4 (1) (b) (II) के तहत आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों के power and duties आयोग की वेबसाइट के RTI Disclosure कॉलम एवं लिंक <http://cic.gov.in/sites/default/files/RTI%20Disclosure/Final%20Section%204%20%281%29%28b%29%28ii%29.pdf> पर भी उपलब्ध है।

4. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।

5. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।




(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

OK
13/07/18